GCMS-2026/55

फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत : जिला कलक्टर मुकाम : बांसवाड़ा

थानाधिकारी, पुलिस थाना सज्जनगढ, जिला बांसवाडा	बनाम	1. विपुल पिता कान्तु डिण्डोर निवासी भूराकुंआ थाना सज्जनगढ, जिला बांसवाडा 2. विनेश पिता कला भीलवास निवासी छियाखुंटा पुलिस थाना कसारवाडी जिला बांसवाडा

धारा, 5,6 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995

मु. नं. : 5 /2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
27-04-2026	थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर जिला बांसवाडा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रकरण सं. 76/2026 धारा 5,6 राजस्थान गौवंश अधिनियम 1995 में जब्त 4 गौवंश को मामले का अंतिम निपटारा होने तक गौशाला में सौपे जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 7 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 प्रस्तुत किया। थानाधिकारी पुलिस थाना **सज्जनगढ जिला बांसवाडा** द्वारा रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि दिनांक 06.04.2026 को अवैद्य गौ वंश से भरी पिकअप बांसवाडा से सज्जनगढ की तरफ आने की सूचना प्राप्त होने पर नाकाबंदी कर बांसवाडा की तरफ से एक पिकअप टेम्पो **RJ03 GA 5965** आया उसको रुकवाया जाकर टेम्पो को चैक करने पर अन्दर पीछे डाले में दो गाये एवं बछडे भरे हुए थे। डाले के अन्दर कोई चारे पानी की व्यवस्था नही की हुई पाई। वाहन चालक एवं उसके पास बैठे अन्य व्यक्ति से पुछताछ पर गायो एवं बछडो को मोना डूंगर कुछ समय बाद अपने गांव सियाखुटा ले जाना एवं चालक झालोद तक का भाडा करना बताया। जिससे प्रतित होता है कि उक्त दोनो व्यक्ति पिकअप टेम्पो में भरी गाये एवं बछडो को अन्य प्रयोजन से ले जाना प्रतित होने, एक छोटे टेम्पो में दो गाये एवं दो बछडे भरकर ले जाना क्रुरता होने से अपराध अन्तर्गत धारा 5,6 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 का अपराध होने से पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। दौराने अनुसंधान प्रकरण में प्रयुक्त वाहन टेम्पो नं. **RJ03 GA 5965** जब्त किया गया तथा गौवंश दो गाय व दो बछडियों का स्वास्थ्य परिक्षण कर रिपोर्ट प्राप्त की गई। गौवंश दो गाय व दो बछडियों को चराई व अवेराई हेतु वात्सल्य गौशाला सज्जगढ में संभलवाया गया। थानाधिकारी ने प्रकरण में जप्तशुदा दो गाय व दो बछडियों को वात्सल्य गौसेवा संस्थान, सज्जनगढ को सुपुर्द करने निवेदन किया है। अतः राजस्थान, गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनिमय) अधिनियम, 1995 की धारा 7 के तहत् जप्तशुदा 4 गौवंश (दो गाय व दो बछडियों) को सक्षम न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय होने तक प्रबन्धक, वात्सल्य गौसेवा संस्थान, सज्जनगढ रजि. नं.**COOP/2021/BANSWARA/201883** को सुपुर्द करने के आदेश दिये जाते हैं। जब्तशुदा 4 गौवंश (दो गाय व दो बछडियों) की चराई, सुरक्षा एवं देखभाल की पूर्ण जिम्मेदारी प्रबन्धक, वात्सल्य गौसेवा संस्थान, सज्जनगढ की होगी। थानाधिकारी, पुलिस थाना [illegible] पाबंद किया जाता है कि सुपूर्दशुदा गौवंश की वीडियोग्राफी करावे। [illegible] न्यायालय द्वारा उक्त पशुओं को तलब करने पर न्यायालय [illegible] वात्सल्य गौसेवा संस्थान, सज्जनगढ बाध्य होगा। तहरीर जारी होकर पत्रावली दाखिल द[illegible] हो। Signature Not Verified Digitally signed by Inderjeet Yadav Date: 2026.05.13 12:15:39 IST Reason: SelfAttested (डॉ. इंद्रजीत यादव) कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बांसवाड़ा (राज.)	